जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 21.11.2022

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एवं गौवध अधिनियम में वाछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 21.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तथा वारंटी/वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा सूचना पर गैंगस्टर एवं गौवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त इमरान उर्फ मानू पुत्र तौफिक निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इमरान उर्फ मानू पुत्र तौफिक निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 146/2022 धारा 3/5क/8 CS Act थाना थानाभवन जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0-385/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री शिवराम सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 विजय कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 जितेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में माननीय एडीजे कैराना के आवास में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान एलईडी, लैपटॉप, नगदी एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 17.11.2022 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत माननीय एडीजे आवास अम्बा पैलेस बारात घर शामली रोड़ कैराना पर स्थित है, जिसके गेट व मकान के ताले तोड़कर एलईडी टीवी, लैपटॉप व अन्य सामान को किसी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में चन्द्र प्रकाश (अर्दली एडीजे कैराना) द्वारा थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 637/2022 धारा 380, 457 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना कैराना पुलिस, एसओजी शामली एवं सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु आस-पास के व्यक्तियों से पूछताछ तथा सीसीटीवी फुटेज आदि साक्ष्य एकत्रित कर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गयी।

जिसके क्रम में दिनांक 20.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में माननीय एडीजे कैराना के आवास में हुई चोरी में शामिल 03 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया सामान एलईडी, लैपटॉप, नगदी आदि एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो तीनों अभि0गण नें उपरोक्त चोरी के सम्बन्ध में बताया कि दिनाँक 16/11/2022 की रात्रि में समय करीब 11.00 बजे कैराना पानीपत रोड़ पर स्थित अम्बा पैलेस के पास में जज साहब के आवास का ताला तोड़कर उसके अन्दर एक एलईडी व लेपटाप व वूफर चुराये हैं जिसे हम उसी कमरे में रखी लोई में लपेटकर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गये थे । अभियुक्त सैंकी नें बताया कि जब हम जज साहब के मकान के पास पहुंचे तो दीपक ने ताला तोड़ा तथा वह अंदर घुस गया मैं व मयंक अम्बा पैलेस के पास मो0सा0 लेकर खड़े हो गये थे फिर जब वह बाहर आया तो मैं , दीपक को लेकर अपनी मो0सा0 होंड़ा एक्सट्रीम UP19N4641 से सामान सहित पालिका बाजार होते हुये डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव वाली गली में आया तथा सामान को अपने घर रखा मेरा भाई मयंक अम्बा पैलेस से दूसरे रास्ते होता हुआ घर पर आया । मो0सा0 पर मैं तथा मेरा दोस्त दीपक मय सामान के थे फिर दीपक भी रात में ही अपने घर चला गया अगले दिन सुबह जब हमें पता चला कि यह तो जज साहब का मकान है तो हम तीनो ड़र गये फिर हमने रात्रि का इंतजार किया तथा उक्त सामान को लेकर एलईडी व लेपटाप को ईंट से तोड़कर श्रीपाल कालोनी के निकट शामली में गंदे नाले में फेंक दिया ।

अभियुक्त दीपक व शशांक उर्फ सैंकी उपरोक्त ने अपने पास से बरामद कुल 2000/- रुपये के बारे में बताया कि साहब अब से कुछ महीने पहले हमने ग्राम सिंगरा झिंझाना क्षेत्र में दीवार फांद कर शाम के समय चोरी की थी जिसमें हमें 8000/- रुपये मिले थे तथा कुछ जेवर मिले थे जेवरों को हमने एक सुनार को दिखाया तो वह नकली थे जेवर हमने गन्दे नाले में फेंक दिये थे तथा रुपये हमने आपस में 4000-4000/- बांट लिये थे बाकी हमारे रुपये खर्च हो गये हम दोनो से जो आज एक-एक हजार रुपये मिले है यह रुपये ग्राम सिंगरा वाली चोरी के है। साहब अब से करीब 04 वर्ष पहले मेरी मुलाकात दीपक से हुयी थी दीपक से मेरी मुलाकात छोटू वाल्मिकी नि0 कैराना नें करायी थी वह मुझे दीपक के घर शामली में ले गया था दीपक नशे का आदि है शशांक उर्फ सैंकी नें बताया कि मैने और दीपक ने वहाँ शराब पी दीपक ने मुझसे कहा कि मैं चोरी वाले काम करता हूँ घरो के ताले तोड़ता हूँ तुम भी इस काम में शामिल हो जाओ तो काफी पैसा मिल जायेगा दीपक तथा मैं दिन में बन्द घरों की रेकी कर लिया करते थे तथा दिन या रात जब भी मौका मिलता था मकान का ताला तोड़कर उसके अन्दर से गहने व रुपये चुरा लेते थे ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.शशांक उर्फ सैंकी पुत्र कमल सिंह नि0 मौ0 बेगमपुरा थाना कैराना जनपद शामली ।

2.दीपक पुत्र नाथीराम निवासी मौ0 पंसारियान कस्बा व थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.मयंक पुत्र कमल सिंह निवासी बेगमपुरा कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.चोरी हुई एलईड़ी सैमसंग कम्पनी।

2.चोरी हुआ लेपटाप ACER कम्पनी व वूफर।

3.दो मोबाइल फोन वीवो व जियो कम्पनी।

4.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होण्डा एक्ट्रीम नम्बर UP-19N-4641

5.फाली व लोई (लैपटॉप व एलईडी को छुपाकर ले जाने में प्रयुक्त)

6.2000/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 473/22 धारा 380, 411 भादवि थाना झिंझाना)

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त शशांक उर्फ सैंकी उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 637/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 473/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 637/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 473/2022 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त मयंक उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 637/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज त्यागी थाना कैराना जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री राधेश्याम थाना कैराना जनपद शामली ।

3.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कसाना प्रभारी एसओजी शामली।

4.उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना कैराना जनपद शामली ।

5.हे0का0 नितिन मलिक एसओजी टीम शामली ।

6.का0 राजीव कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

7.का0 नितिन त्यागी एसओजी टीम शामली ।

8.का दीपांकुर त्यागी एसओजी टीम शामली।

9.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

कार्यालय
कोतवाली कैराना
कार्यालय
UP 19N 8641

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 21 .11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 0 1 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.प्रवेश पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अकबर सुनैटी थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1-अवैध 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 सतेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 पवन भाटी थाना कैराना जनपद शामली।